न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्था

उनवान ..... मुकदमा नं० .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/6/19	वकील प्रकाशचन्द उ०/ प्रार्थना पत्र वकील प्रकाशचन्द का पत्र दिनांक 28/6/19 को पेश हो।	
28/6/19	वकील प्रकाशचन्द उ०/ का पत्र पर वकील प्रकाशचन्द की बहस सुनी गई। बाद बहस का पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वापस प्रत्यर्पण लेने यथा उक्त राजस्व लोक अदालत कोटपूतली दिनांक 1/5/18 को स्वीकृत हो गया था। उक्त प्रकरण योग्य बाद नहीं की आरोपी अदालतों से सम्बन्धित पाया गया है। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वापस प्रत्यर्पण लेने आज्ञा स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नस्ती से कम किया जाकर बाद मिसल दाखिल दफ्तर हो। यथा प्रार्थना उ० दर्ज हो।	

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner